



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 27] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 30, 2019/माघ 10, 1940  
No. 27] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 30, 2019/MAGHA 10, 1940

## कर्मचारी राज्य बीमा निगम

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2019

**सं. वी-33(13)11/2002-स्था. IV.**—कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियमावली, 1950 के विनियम 10 के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग- III, खंड-4, दिनांक 30 जुलाई, 2018 में प्रकाशित सं. वी-33(13)11/2002-स्था. IV, दिनांक 26 जुलाई, 2018 द्वारा यथा गठित उड़ीसा राज्य के क्षेत्रीय बोर्ड में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करते हैं।

उक्त अधिसूचना में विनियम 10(1)(ड) के अंतर्गत नियोक्ता प्रतिनिधि के रूप में क्र. सं. 5 के बदले निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, नामतः:

क्रम सं.	प्रतिनिधि का नाम	पदनाम	संबंधित विनियम
5	श्री जगन्नाथ खुंटिया, महाप्रबंधक (एच आर), पारादीप फास्फेट लिमिटेड, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, भुवनेश्वर	नियोक्ता प्रतिनिधि	विनियम 10(1)(ड)

पी.बी. मणि, अपर आयुक्त

[विज्ञापन-III/4/असा./501/18]

**EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th January, 2019

**No. V-33(13)11/2002-E.IV.**—In exercise of the powers conferred by Section 25 of the ESI Act, 1948 (34 of 1948) read with Regulation 10 of ESI (General) Regulation, 1950, the Chairman, ESI Corporation hereby makes the following amendments to the Regional Board for State of Odisha as constituted vide No. V-33(13)11/2002-E.IV dated: 26th July, 2018 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section-4 dated the 30th July 2018.

In the said notification under Regulation 10(1)(e) as Employers' representative against Sl. No.5, the following entry shall be substituted namely:

Sl. No.	Name of Representative	Designation	Under Regulation
5	Sh. Jagannath Khuntia, General Manager (HR), Paradeep Phosphate Limited, Jawaharlal Nehru Marg, Bhubaneshwar	Employers' Representative	Regulation 10(1)(e)

P.B. MANI, Addl. Commissioner

[ADVT.-III/4/Ext./501/18]